राजस्थान सरकार

गृह विभाग

*****

विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा निर्देश

*****

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकःप.6(19)गृह–13/2006/ जयपुर, दिनांकः22.05.2006

–: विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा निर्देश :–

सिविल याचिका श्रीमति सीमा बनाम अश्विनी कुमार [ट्रान्सफर पिटीशन (सिविल) 291 /2005] में दिनांक 15.02.2006 को निर्णय प्रतिपादित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था स्थापित करने बाबत् व्यवस्था दी गयी है एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को इस बाबत् कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। फलतः प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उसके सीमा क्षेत्र में होने वाले सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीयन करने की व्यवस्था के लिए प्रचलित नियमों में अपेक्षित संशोधन किया जाना है या यथाआवश्यक नये नियम बनाये जाने है।

विवाह का अनिवार्य पंजीयन बहुउपयोगी है। विवाह के पंजीयन से उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य से महिलाओं को उतराधिकार प्राप्त होने में सुविधा तो मिलेगी ही, बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर भी अंकुश लगेगा। स्पष्टतया महिलाओं के उतराधिकार प्राप्त होने में यह व्यवस्था प्रभावी रूप से कारगर साबित होगी।

राजस्थान में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु अभी तक वैधानिक व्यवस्था विद्यमान नहीं है। इस हेतु अधिनियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नया अधिनियम बनने में समय लगना प्रत्याशित है। अतः विवाह के अनिवार्य पंजीकरण बाबत विधि रचना होने तक की अवधि के लिए राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती हैः–